संख्या–63 /पी0एस0आर0डी/500(19)/2001

संलग्नक - 12

प्रेषक,

अजित सेठ,
प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश

ग्राम्य विकास विभाग — लखनऊ :: दिनांक :: 01 दिसम्बर, 2001

विषय :: विधायक निधि से माननीय विधायकों के उपयोगार्थ लैपटाप कम्प्यूटर के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त वेषयक शासनादेश संख्या 4225/38–3–2001 –500(33)/2000 दिनांक 03 अक्टूबर, 2001 तथा शासनादेश संख्या 4502/38–3–2001 –500(33)/2000 दिनांक 06 अक्टूबर, 2001 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित निर्देश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायक निधि से मा0 विधायकगण हेतु लैपटाप कम्प्यूटर क्रय करते हुए कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विधान मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा जिस "मेक/ब्रॉंड/माडॅल" के लैपटाप की मॉग की जाय उसी को क्रय किया जाय ताकि माननीय सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति हो सके।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विधान परिषद की मा0 विशेषाधिकार समिति द्वारा इस बात पर आपत्ति की गयी है कि लैपटाप के कय में जनपदों में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। इस कार्य में विलम्ब नहीं होना चाहिये। अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि मा0 विधायकों से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्यवाही अवश्य सुनिश्चित कर ली जाय।

भवदीय,

(अजित सेठ)
प्रमुख सचिव

संख्या— 63 /पी0एस0आर0डी0/500(19)/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
7. विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यगण।
8. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. मा0 सभापति, विशेषाधिकार समिति (विधान परिषद) को मा0 विशेषाधिकार समिति (विधान परिषद) को मा0 विशेषाधिकार समिति द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में सूचनार्थ समिति के सचिव के माध्यम से।
12. मा0 मंत्री जी/ मा0 राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के सूचनार्थ उनके निजी सचिव को।
13. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
14. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
15. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अजित सेठ)
प्रमुख सचिव

2